आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 9-B-11-13/2024/162(9)B **दिनांक -** 12-May-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100111045010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औषधालय 45 - मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पतालें - आधार भूत संरचना 01-मेडिकल कॉलेज और 500 विस्तर वाले अस्पताल. नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढांचा का निर्माण, ड्रग्स, मशीन उपकरण, फर्नीचर, मेटेरियल्स आपूर्ति आदि की खरीद। 45 - निर्माण **State Scheme** State Scheme : MEDICAL COLLEGES & 500 BEDDED HOSPITALS-ESTABLISHMENT COST, STIPEND ETC.(1674) Centeral Scheme : NA	19276	JSRMED002 SANJAY KUMAR PRIN.M.G.M.MEDICAL COLL.JSR. 45 - निर्माण कार्य	50,000,000.00 रुपये पॉच करोड
2	S 20 42100111045010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औषधालय 45 - मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पतालें - आधार भूत संरचना 01-मेडिकल कॉलेज और 500 विस्तर वाले अस्पताल. नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढांचा का निर्माण, ड्रग्स, मशीन उपकरण, फर्नीचर, मेटेरियल्स आपूर्ति आदि की खरीद। 45 - निर्माण **State Scheme** State Scheme : MEDICAL COLLEGES & 500 BEDDED HOSPITALS-ESTABLISHMENT COST, STIPEND ETC.(1674) Centeral Scheme : NA	19278	HZBMED212 DR. SUSHIL KUMAR SINGH PRINCIPAL HZB MEDICAL COLLEGE 45 - निर्माण कार्य	50,000,000.00 रुपये पॉच करोड
3	S 20 42100111045010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औषधालय 45 - मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पतालें - आधार भूत संरचना 01-मेडिकल कॉलेज और 500 विस्तर वाले अस्पताल. नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढांचा का निर्माण, ड्रग्स, मशीन उपकरण, फर्नीचर, मेटेरियल्स आपूर्ति आदि की खरीद। 45 - निर्माण **State Scheme** State Scheme : MEDICAL COLLEGES & 500 BEDDED HOSPITALS-ESTABLISHMENT COST, STIPEND ETC.(1674) Centeral Scheme : NA	19279	DHNMED067 RAMKRISHNA MAHATO PRINCIPAL SHAHEED NMMC DHN 45 - निर्माण कार्य	50,000,000.00 रुपये पॉच करोड

योग: रुपये पंद्रह करोड 150,000,000.00

क्रमिक योग:

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 20 42100111045010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औषधालय 45 - मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पतालें - आधार भूत संरचना 01-मेडिकल कॉलेज और 500 बिस्तर वाले अस्पताल. नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढांचा का निर्माण, ड्रग्स, मशीन उपकरण, फर्नीचर, मैटेरियल्स आपूर्ति आदि की खरीद। 05-निर्माण **State Scheme** State Scheme : MEDICAL COLLEGES & 500 BEDDED HOSPITALS-ESTABLISHMENT COST, STIPEND ETC.(1674) Centeral Scheme : NA	19281	DMKMED245 DR.GAJENDRA KUMAR SINGH PRINCIPAL 45 - निर्माण कार्य	50,000,000.00 रुपये पॉच करोड
5	S 20 42100111045010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औषधालय 45 - मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पतालें - आधार भूत संरचना 01-मेडिकल कॉलेज और 500 बिस्तर वाले अस्पताल. नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढांचा का निर्माण, ड्रग्स, मशीन उपकरण, फर्नीचर, मैटेरियल्स आपूर्ति आदि की खरीद। 05-निर्माण **State Scheme** State Scheme : MEDICAL COLLEGES & 500 BEDDED HOSPITALS-ESTABLISHMENT COST, STIPEND ETC.(1674) Centeral Scheme : NA	19283	PLMMED168 JAKKA SRINIVAS RAO PRI.PLM.MEDICAL.COLLEGE.PALAMU 45 - निर्माण कार्य	50,000,000.00 रुपये पॉच करोड

योग: रुपये पच्चीस करोड — 100,000,000.00

क्रमिक योग: 250,000,000.00

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

वित्तीय वर्ष **2026-27** में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 45 - मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पतालें - आधार भूत संरचना

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100111045010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jamshedpur	JSRMED002	Sanjay Kumar	Prin.M.G.M.Medical Coll.Jsr.	₹5,00,00,000.00 (19276)	₹5,00,00,000.00
2	Hazaribagh	HZBMED212	Dr. Sushil Kumar Singh	Principal Hzb Medical College	₹5,00,00,000.00 (19278)	₹5,00,00,000.00
3	Dhanbad	DHNMED067	Ramkrishna Mahato	Principal Shaheed Nmmc Dhn	₹5,00,00,000.00 (19279)	₹5,00,00,000.00
4	Dumka	DMKMED245	Dr.Gajendra Kumar Singh	Principal	₹5,00,00,000.00 (19281)	₹5,00,00,000.00
5	Palamu	PLMMED168	Jakka Srinivas Rao	Pri.Plm.Medical.College.Palamu	₹5,00,00,000.00 (19283)	₹5,00,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹25,00,00,000.00 (पच्चीस करोड **) रूपये मात्र |**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

पत्र सं०:–09 / बजट–11–13 / 2024.....162(9) ब

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद।
प्राचार्य, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग।
प्राचार्य, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर।
प्राचार्य, फूलो–झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका।
प्राचार्य, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू।

राँची, दिनांकः– 12.05.26

विषयः–राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2026–27 में मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना हेतु कुल 25,00,00,000 / –(पच्चीस करोड़) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प ज्ञापांक–361(9) दिनांक–31.07.2024 एवं स्वीकृत्यादेश सं०–157(9)ब दिनांक–06.05.2026 के क्रम में राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2026–27 में मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना हेतु कुल 25,00,00,000 / –(पच्चीस करोड़) रूपये मात्र का आवंटन निम्नवत् किया जाता हैः–

क्र०	चिकित्सीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि (रूपये में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1.	एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम	5,00,00,000 / –	5,00,00,000 / –	प्राचार्य, एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर।
2.	शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग	5,00,00,000 / –	5,00,00,000 / –	प्राचार्य, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग
3.	शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद	5,00,00,000 / –	5,00,00,000 / –	प्राचार्य, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद
4.	फुलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका	5,00,00,000 / –	5,00,00,000 / –	प्राचार्य, फूलो–झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका।
5.	मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू	5,00,00,000 / –	5,00,00,000 / –	प्राचार्य, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू।
		कुल राशि	**25,00,00,000 / – (पच्चीस करोड़ रूपये)**	

2. मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना हेतु निर्गत संकल्प के विर्निदिष्ट कंडिकाओं एवं स्वीकृत्योदश की सभी शर्त्तें यथावत रहेंगी। संकल्प एवं स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी निदेशो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव।

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

4. उपलब्ध कराई जा रही अनाबद्व राशि का उपयोग निम्न कार्यों के लिए प्राथमिकता/आवश्यकता के अनुरूप की जा सकेगी:–

i. भवन की मरम्मति तथा रंग–रोगन
ii. चाहर दिवारी की मरम्मति/रंग–रोगन
iii. विद्युत व्यवस्था
iv. पेयजल की व्यवस्था
v. साफ–सफाई
vi. मरीजों एवं उनके परिजनों के बैठने की व्यवस्था
vii. दवा
viii. चिकित्सीय मशीन एवं उपकरण
ix. सोलर लाईट
x. रेफ्रिजरेटर
xi. उपस्कर
xii. शौचालय की उपलब्धता
xiii. अग्निशमन व्यवस्था
xiv. वृक्षारोपण एवं बागवानी
xv. अन्य आवश्यक आकस्मिक कार्य

5. सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल के विभागाध्यक्ष को भी वित्तीय शक्ति प्रत्योजित की गयी है ताकि उनके द्वारा प्रतिदिन की आवश्यकताओं के त्वरित गति से पूरा किया जा सके। इससे प्रत्येक विभाग के मरीजों का ईलाज करने में सहूलियत होगी तथा इसका लाभ आम लोगों को प्राप्त होगी। इस हेतु प्रत्येक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल के विभागाध्यक्ष के नाम से बैंक में खाता खोलकर उन्हे एकमुश्त एक बार में Corpus Fund के रूप में पॉच लाख रूपये उपलब्ध कराया जाएगा। प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा सिर्फ इस राशि की AC विपत्र के रूप में निकासी की जायेगी तथा व्यय के उपरांत इसका DC विपत्र भेजा जाएगा। वे छोटे–छोटे कार्य कर सकेंगे तथा Procurement भी कर सकेंगे। किसी भी एक कार्य में सन्निहित राशि 50 हजार से अधिक नहीं होगी, इस से अधिक राशि के कार्य हेतु वे प्राचार्य/अधीक्षक को अपना Indent भेजेंगे जिस पर प्राचार्य/अधीक्षक के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। इस राशि से विभागाध्यक्ष द्वारा दवा उपस्कर की मरम्मती क्रय Wiring, Telephone, Computer, Printer, Table, Chair का Procurement किया जा सकेगा।

विभागाध्यक्ष द्वारा व्यय की गयी राशि से संबन्धित विपत्र प्राचार्य/अधीक्षक को भेज दिया जाएगा जिनके द्वारा उक्त राशि की प्रतिपूर्ति आवंटित राशि से किया जाएगा ताकि किसी भी समय प्रत्येक विभागाध्यक्ष के पास उनके Bank Account में Corpus Fund के रूप में पॉच लाख रूपये उपलब्ध रहेगा। प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा संबंधित DC विपत्र कोषागार को भेज दिया जायेगा। प्रत्येक विभागाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष अधिकतम 10 लाख रूपये उपलब्ध कराया जायेगा। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के विभागाध्यक्ष के नाम से बैंक खाता खोलने के पूर्व वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. इस योजना पर होने वाली राशि का व्यय राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाऍ–110–अस्पताल तथा औषधालय–45–मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्यावाले अस्पताले–आधारभूत संरचना–01–मेडिकल कालेज और 500 बिस्तर वाले अस्पताल, नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढांचा का निर्माण, ड्रग्स, मशीन उपकरण, फर्नीचर, मैटेरियल्स आपूर्ति आदि की खरीद–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड–20एस 42100111045010545) के अधीन वित्तीय वर्ष–2026–27 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

7. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

(आनन्द कुमार सिन्हा) अवर सचिव।	(ललित मोहन शुक्ला) संयुक्त सचिव।	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव।

8. इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य को राशि आवंटित की जा रही है। महाविद्यालय से संबंधित कार्यों हेतु राशि की निकासी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा नियमानुसार की जाएगी। चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संबंधित कार्यों के लिए प्राचार्य राशि का उप आवंटन संबंधित अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को करेंगे। अस्पताल से संबंधित राशि की निकासी संबंधित अधीक्षक द्वारा नियमानुसार की जाएगी।

9. इस योजना के तहत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों को Untied Fund के रुप में निधि उपलब्ध कराया जायेगा। इस निधि के अन्तर्गत उक्त चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के संचालन एवं रख-रखाव हेतु योजनाओं का चयन संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के द्वारा संयुक्त रुप से किया जायेगा। योजनाओं के चयन के पश्चात् उससे संबंधित प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। योजनाओं की सूची तथा उससे संबंधित प्राक्कलित राशि की विवरणी कार्य योजना के रुप में तैयार कर उस पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

10. प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निम्न रुप से गठित समिति के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

1.	संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त	अध्यक्ष
2.	संबंधित उपायुक्त	सदस्य
3.	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
4.	संबंधित प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल	सदस्य
5.	संबंधित अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल	सदस्य

प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा।

11. योजनाओं के तहत राशि का उपयोग वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-वित्त-7/वि0नि0-04/2010-221/वि0 दिनांक-03.02.2011 के अनुसार निम्न वर्णित अनुरुप की जाएगी ताकि स्थानीय स्तर पर समाधान योग्य शिकायत/मरम्मति का कार्य नियमानुसार त्वरित रूप से कराया जा सके :-

I. सरकारी विभागों/विभागाध्यक्षों को रू0 1,50,000/-(एक लाख पचास हजार) तक निविदा समाचार पत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मात्र सूचना पट्ट पर निविदा प्रकाशित करनी होगी।

II. रू०15,000/-(पंद्रह हजार) तक का क्रय कोटेशन प्राप्त कर विहित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

12. निर्माण/मरम्मति कार्य से संबंधित मामलों में रू0 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) तक का कार्य विभागीय रूप से कराया जायेगा तथा इससे ऊपर की राशि का कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जायेगा।

13. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

14. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०-2561, दिनांक- 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन की जाएगी।

15. झारखण्ड वित्तीय नियमवाली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे तथा प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध करायेंगे।

17. इस हेतु निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-361(9) दिनांक-31.07.2024 की सभी कंडिकाएँ/शर्त्तें यथावत् रहेंगी एवं इसके आलोक में योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः—09 / बजट—11—13 / 2024.......162 (9) ब.......राँची,दिनांक :.....12.05.26

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड / सभी उपायुक्त, झारखण्ड, / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची / सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड / निदेशक चिकित्सा शिक्षा, झारखण्ड, राँची / सभी प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, झारखण्ड / संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा) अवर सचिव।	(ललित मोहन शुक्ला) संयुक्त सचिव।	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव।